



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052023-246093
CG-DL-E-26052023-246093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]
No. 346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2023/ज्येष्ठ 4, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2023/JYAISHTHA 4, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 22 मई, 2023

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (602).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

(1) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (566) दिनांक 20 अप्रैल 2023 (प्रकाशित दिनांक 20 अप्रैल 2023)

आई एस 3028 : 1998 के स्थापित होने की अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — '19 मई 2023' को '6 अगस्त 2023' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./128/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd May, 2023

Ref: HQ-PUB-BIS (602).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

(1) Extraordinary vide HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (566) dated 20 April 2023 (Published on 20 April 2023)

Sl No. 01, column (5) of schedule notifying the establishment of IS 3028 : 1998 — Substitute '6 August 2023' for '19 May 2023'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./128/2023-24]